



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 210/2021

प्रमोद @नन्हू तिवारी पिता चंद्रिका प्रसाद तिवारी , 33 वर्ष, निवासी गाँव-कुम्हारी, पुलिस थाना मरवाही,
जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान में जिला-निवासीला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना के द्वारा ,मारवाही, जिला-बिलासपुर, अब जिला-गौरेला-पेंड्रा-मारवाही,
छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :--श्री वाई. सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन निधि के साथ तथा श्री विशाल चंद्रवंशी,
अधिवक्ता

उत्तरवादीगण हेतु :--श्री मलय जैन, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

22.03.2025



1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा, साथ ही अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन निधि और श्री विशाल चंद्रवंशी और साथ ही राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री मलय जैन को सुना गया।
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "दं. प्र. सं. ") की धारा 374(2) के तहत यह दाण्डिक अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पीए) अधिनियम 1989, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (सी.जी.) द्वारा विशेष एससी/एसटी (पीए) अधिनियम 1989 केस संख्या 10/2018 में दिनांक 04.02.2021 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंड पारित किया गया :-----

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत	10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत	आजीवन कठोर कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) (बी-i) (बी-ii) के अंतर्गत।	05 वर्ष कठोर कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत।	आजीवन कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, जुर्माना राशि अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास।
दोनों दंड साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।	

3. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक बदन सिंह वर्तमान में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के थाना मरवाही अंतर्गत ग्राम कुम्हारी का निवासी है तथा दिहाड़ी मजदूरी करता है। सूचक के चार संतान हैं निखलेश 18 वर्ष, ओमप्रकाश 16 वर्ष, महेंद्र सिंह 13 वर्ष तथा पीड़िता 06 वर्ष। दिनांक 07.02.2018 को सूचक घर



पर था, उसकी पत्नी पार्वती काम पर गई थी। बड़ा पुत्र निखलेश पुणे में काम करता है तथा ओमप्रकाश ट्रैक्टर पर काम करने गया था तथा महेंद्र सिंह मोहल्ले में खेलने गया था। शाम को मुखबिर खाना बना रहा था तथा उसकी पत्नी काम से आकर नहा रही थी तथा पीड़िता घर के आंगन में साड़ी के कपड़े से बने झूले में झूलकर खेल रही थी। मुखबिर ने शाम करीब 06:00 बजे देखा कि बालिका/पीड़िता वहां नहीं है, तब वह और उसकी पत्नी पीड़िता को ढूंढने निकले। कमला बाई आंगनबाड़ी के पास नल में पानी भर रही थी, उसने बताया कि डोंगरी/छोटी पहाड़ी पर एक बालिका रो रही है, जिस पर मुखबिर ने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया तथा गांव के ही नरेन्द्र सिंह पाव के साथ आंगनबाड़ी से लगे डोंगरी/छोटी पहाड़ी की ओर चला गया। मुखबिर आगे जा रहा था तथा नरेन्द्र सिंह पंजा कुछ दूरी पर था। मुखबिर ने देखा कि अभियुक्त प्रमोद उर्फ नन्हू तिवारी पत्थर पर बैठा था तथा उसने अपना लोअर व चड्डी नीचे कर दिया था तथा पीड़िता के हाथ में बिस्किट पकड़ा दिया था तथा पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डाल रहा था। पीड़िता रो रही थी जिस पर मुखबिर ने बालिका/पीड़िता को उठाकर अपनी गोद में ले लिया तथा अभियुक्त को डांटते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया लेकिन अभियुक्त ने कुछ नहीं कहा। शाम करीब 6:30 बजे सूचनाकर्ता ने पीड़िता को घर लाकर पूछा तो पीड़िता ने बताया कि वह घर के आंगन में झूल रही थी, तभी अभियुक्त आया और उसे बिस्किट देकर उठा कर डोंगरी/छोटी पहाड़ी की ओर ले गया और उसके मुंह में अपना लिंग डाल दिया।

4. सूचनाकर्ता बदन सिंह पाव द्वारा उपरोक्त प्रकृति की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मरवाही में दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 19/2018 धारा 363, 376 भादवि (प्र.प.-3) के तहत पंजीबद्ध कर मामले को अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के दौरान पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा (प्र.प.-4) एवं घटनास्थल नक्शा (प्र.प.-15) तैयार किया गया था। पीड़िता के पिता बदन सिंह को पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस (एक्स.पी-12) दिया गया। पीड़िता की जाति और निवास से संबंधित दस्तावेजों को गवाहों के सामने एक्स.पी-19 के रूप में जब्त किया गया। पीड़िता की मेडिकल परीक्षण एक्स.पी-3 के अनुसार की गई। पीड़िता के मुंह की ओरल फ्लूइड स्लाइड को एक्स.पी-1 के रूप में जब्त किया गया। पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र एक्स.पी-17 के रूप में जब्त किया गया। प्र.पी.-24 के माध्यम से पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र, प्र.पी.-17 के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र तथा प्र.पी.-18 के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र जब्त किया गया। प्र.पी.-20 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय प्राथमिक शाला कुम्हारी को पत्र जारी कर पीड़िता के जन्म से संबंधित प्रविष्टि दस्तावेज, दाखिल-खारीज रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसके आधार पर प्र.पी.-22-सी के माध्यम से दाखिल-खारीज रजिस्टर की प्रति जब्त की गई। प्र.पी.-13 के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी को पीड़िता का लिखित कथन लेने के लिए आवेदन भेजा गया तथा प्र.पी.-21 के माध्यम से महिला थाना प्रभारी को भारतीय दंड विधान की धारा 161 के तहत पीड़िता का कथन लेने के लिए ज्ञापन भेजा गया तथा थाना प्रभारी, पेण्ड्रा को पत्र भेजा गया था। प्र.पी.-14 के माध्यम से अभियुक्त को ज्ञापन जारी किया गया। प्र.पी.-16 के माध्यम से महिला निरीक्षक द्वारा पीड़िता का कथन दर्ज किया गया। प्र.पी.-11 के आवेदन के आधार पर अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता के स्वास्थ्य एवं गुप्तांगों के परीक्षण हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पेण्ड्रा रोड से प्र.पी.-5 के माध्यम से अनुमति प्राप्त की गई तथा प्र.पी.-7, प्र.पी.-



6 एवं प्र.पी.-8 के माध्यम से सूचक, उसकी पत्नी एवं पीड़िता से भी सहमति प्राप्त की गई। पीड़िता के मुंह से निकले द्रव को सुरक्षित रखा गया, जिसे आवेदन प्र.पी.-26 के माध्यम से परिक्षण हेतु क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजा गया था। साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 तथा एससीएसटी एक्ट 1989 की धारा 3 (1) (बी) 3 (2) (वी) (ए) के तहत मामला दर्ज पाया गया। अभियुक्त गिरफ्तारी ज्ञापन प्र.पी.-9 के अनुसार गिरफ्तार किया गया तथा उसके परिवार को प्र.पी.-10 के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई। संपूर्ण अन्वेषण कार्यवाही तथा साक्ष्य के आधार पर जब अभियुक्त के खिलाफ अपराध के साक्ष्य पाए गए तो आरोप पत्र दाखिल किया गया।

5. प्रकरण की विचारण के दौरान, अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376 (2), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (बी-आई) (बी-आईआई) एवं 3 (2) (वी) के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियुक्त ने आरोपों की विषय-वस्तु से इनकार किया तथा यहां तक कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपनी स्वयं की परीक्षा के दौरान भी, अभियुक्त ने उन सभी प्रतिकूल तथ्यों से इनकार किया जो उससे मांगे गए साक्ष्य में प्रकाश में आए थे तथा अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का बचाव यह है कि घटना दिनांक को उसका परिवादी के रिश्तेदार मुंगबाई से कुर्सी तोड़ने की घटना को लेकर विवाद हुआ था तथा थाने में परिवाद दर्ज कराई गई थी। इस विवाद के आधार पर परिवादी द्वारा दुर्भावनापूर्ण आशय से उसे झूठा फंसाया गया है।

6. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 21 साक्षियों की परीक्षा की तथा 28 दस्तावेज पेश किए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया तथा निर्णय के कंडिका-2 में उल्लिखित दंड पारित किया गया। अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.02.2021 का आक्षेपित निर्णय मामले के विधि, तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है, इसलिए इसे अपास्त किये जाने योग्य है। दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू तथ्यों, साक्ष्य और विधि के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ दिया गया निष्कर्ष विकृत है तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत है, इसलिए इसे अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल धारणा और अनुमान के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गलती की, हालांकि अपीलकर्ता के खिलाफ अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए आक्षेपित दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय यह भी देखने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है, इसलिए दिनांक 04-01-2021 को दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय अपास्त करने योग्य है।



अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन/बयान में भौतिक विरोधाभास और चूक है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करती है। विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है, जबकि परिवादी पक्ष पूरी तरह से जानता है कि वे अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और इस तरह, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध के लिए उनकी दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य है। अतः, वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता ने लगभग 6 वर्ष की नाबालिग लड़की के खिलाफ जघन्य अपराध किया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने पुख्ता साक्ष्य पेश करके अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया है। उत्तरवादी की ओर से आगे कहा गया है कि अभियोक्ता (पीडब्लू-3) और चक्षुदर्शी साक्षी पीडब्लू-13 (पीड़िता के पिता) और पीडब्लू-7 के बयानों के तहत, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से घटना का वर्णन किया है और अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपराध का लेखक बताया है, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सबूतों के साथ, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को ऊपर वर्णित अपराधों के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया है और यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता की दंड को किसी भी हद तक बदला या कम किया जा सकता है। अतः वर्तमान अपील खारिज करने योग्य है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके द्वारा उपरोक्त प्रतिद्वन्द्वियों के तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया।

10. अब विचारणीय प्रथम प्रश्न यह है कि क्या पीड़िता नाबालिग लड़की थी, जो घटना दिनांक को 12 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम आयु की थी।

11. पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में निरीक्षक राजेश श्रीवास्तव (पी.डब्लू.-12) ने दिनांक 19.03.2018 को प्रधानाचार्य, प्राथमिक विद्यालय कुम्हारी को लिखित शिकायत (एक्स.पी.-20) देकर पीड़िता के विद्यालय के दाखिले-खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। शिक्षिका रानू मिश्रा (अ.सा.-15) ने इस साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से थाना मरवाही के अपराध क्रमांक 19/2018 में पीड़िता की जन्मतिथि जानने के लिए पुलिस द्वारा दाखिल-खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को पत्र (प्र.सा.-20) भेजा गया था, जिसके अनुपालन में दाखिल-खारिज रजिस्टर की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (प्र.सा.-22) उपलब्ध करा दी गई। पीड़िता का नाम वर्ष 2016-17 के दाखिल-खारिज रजिस्टर के क्रमांक 488 में दर्ज है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 23.07.2011 अंकित है। पीड़िता के माता-पिता पार्वती (अ.सा.-2), कमला (अ.सा.-5) एवं बदन सिंह (अ.सा.-13) ने भी बताया कि घटना के समय पीड़िता की आयु 06-07 वर्ष थी। स्वयं पीड़ित (पीडब्लू-3) ने साक्ष्य के दौरान कहा है कि उसकी आयु लगभग 06 वर्ष है तथा वह दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी।



12. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (प्र.पी-17) के अनुसार पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 12.12.2014 को जारी हुआ, जो घटना दिनांक 07.02.2018 से 03 वर्ष पूर्व जारी हुआ। पुनीत प्रधान (पीडब्लू-11) पूर्व सरपंच का कथन है कि वे वर्ष 2010 से 2020 तक ग्राम पंचायत कुम्हारी में सरपंच के पद पर पदस्थ रहे। उनके पदस्थापना से पीड़िता के पिता बदन सिंह के जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ (प्र.पी-17), जिसके अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 23.07.2014 बताई गई है। ऐसी स्थिति में पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र पर संदेह उत्पन्न करने का कोई औचित्य नहीं है। पीड़िता के प्रवेश रजिस्टर प्र.पी-22 (सत्य प्रतिलिपि प्र.पी-22 सी) के अनुसार, उसे 01.04.2017 को कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया था और पीड़िता की जन्मतिथि 23.07.2011 दर्ज की गई थी।

13. घटना दिनांक को पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम होना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. मार्को (पी.डब्लू-4) ने भी बताया है कि पीड़िता में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हुए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त तथ्यों से यह निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि पीड़िता की जन्म तिथि अर्थात् 23.07.2011 को घटना दिनांक 07.02.2018 को पीड़िता 06-07 वर्ष की नाबालिग बालिका थी, जिसकी आयु 06 वर्ष 05 माह 14 दिन थी।

14. अब विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त/अपीलकर्ता उक्त अपराध का अपराधी है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने धोबलाल सिदार (पीडब्लू-1), तपस्वनी सिदार (पीडब्लू-2), सीमा सिदार (पीडब्लू-3), सपना सिदार (पीडब्लू-4), सरस्वती (पीडब्लू-9) तथा डॉ. प्रकाश कुमार चेतवानी (पीडब्लू-8) की गवाही तथा उनकी मेडिकल रिपोर्ट (एक्स.पी/4 ए, एक्स.पी/7 ए, एक्स.पी/9 ए तथा एक्स.पी/10 ए) तथा तपस्वनी सिदार (पीडब्लू-2) की एक्स-रे रिपोर्ट (एक्स.पी/13 ए) के आधार पर सकारात्मक रूप से दर्ज किया है।

15. पीड़िता के पिता बदन सिंह (पीडब्लू-13) ने बताया है कि घटना के दिन वह घर पर था। उसकी पत्नी तथा पुत्र ओमप्रकाश काम पर गए थे। पीड़िता आंगन में साड़ी का झूला बनाकर झूल रही थी, तभी आरोपी आया और पीड़िता को उठाकर डोंगरी ले गया। पीड़िता की रोने की आवाज सुनकर वह डोंगरी/छोटा पहाड़ की ओर गया तो देखा कि आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अपने कपड़े पूरी तरह उतार दिए थे और पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डाल रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो पीड़िता पापा-पापा कहकर रोने लगी तो आरोपी वहां से भाग गया तब पीड़िता ने भी उसे घटना के बारे में बताया। इस साक्षी ने आगे बताया कि इसके बाद वह अपनी बेटी पीड़िता को लेकर मरवाही थाने पहुंचा और घटना की रिपोर्ट प्र.पी-3 दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस गांव में आई और उससे पूछताछ कर मौका नक्शा प्र.पी-4 तैयार किया। उसकी पुत्री के उपचार के सम्बन्ध में उसकी सहमति प्र.पी.-7 के माध्यम से ली गई थी।



16. नरेन्द्र सिंह पंजा (प्र.डब्लू-7) ने बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है, उसे गांव में नन्हू महाराज कहते हैं। वह पीड़िता और उसके पिता को भी जानता है। घटना फरवरी 2018 माह में शाम 6:00 बजे की है। वह अपने मित्र के साथ आंगन के पास बैठा था, जहां सौर ऊर्जा का नल है। गांव का बदन सिंह अपनी पुत्री पीड़िता को ढूंढने आया, जो अपने घर में झूल रही थी। पीड़िता की माता भी उसे ढूंढ रही थी। पीड़िता के पिता बदन सिंह वहां आए और पीड़िता के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता। इसी बीच डोंगरी की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई तो वह और बदन सिंह उस आवाज की तरफ गए जहां आरोपी ने पीड़िता को एक पत्थर पर बैठा दिया था और अपनी फुल पेंट खोलकर पीड़िता को बिस्कुट दिए थे और पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डाल दिया था। फिर बदन सिंह ने जाकर पीड़िता को गोद में उठा लिया। बदन सिंह ने जब आरोपी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद बदन सिंह पीड़िता को घर ले आया और उससे घटना के बारे में पूछा।

17. कमला बाई (पीडब्लू-5) ने बताया है कि वह पीड़िता और उसके माता-पिता को जानती है। पीड़िता की उम्र अभी करीब 6-7 वर्ष है। वह अभियुक्त को भी जानती है, जिसे गांव में नान्हू महाराज कहते हैं। पीड़िता पाव आदिवासी जाति से है, आरोपी भी यह बात जानता है, क्योंकि वे उसी गांव के हैं। इस साक्षी ने बताया कि घटना करीब एक साल पहले की है। वह शाम 6 बजे गांव की आंगनवाड़ी के सामने सोलर एनर्जी से पानी भर रही थी, तभी पीड़िता के माता-पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उसने बताया कि डोंगरी की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। वह डोंगरी आंगनवाड़ी के पीछे स्थित है। पीड़िता के माता-पिता पीड़िता की तलाश में आंगनवाड़ी से आगे डोंगरी तक गए थे।

18. पार्वती (पीडब्लू-2), जो पीड़िता की माता है, ने बताया कि उसकी बेटी/पीड़िता 7 साल की है और कक्षा 2 में पढ़ती है। वह पव जाति से है जो एक आदिवासी समुदाय है। वह अभियुक्त को जानती है क्योंकि वह उनके गांव का है, जो महाराज है और वह उनकी जाति जानती है। घटना 1 वर्ष पुरानी है, वह शाम को 6:00 बजे अपने घर में नहा रही थी। उसकी पुत्री पीड़िता घर में झूल रही थी, उसकी पुत्री वहां नहीं थी, जिस पर उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और इधर-उधर देखा लेकिन वह नहीं मिली, फिर उसके घर से कुछ दूरी पर कमला बाई सौर ऊर्जा नल से पानी भर रही थी, तभी उसने बताया कि डोंगरी की तरफ कोई बच्चा रो रहा है, तब उसका पति डोंगरी की तरफ गया जहां उसने पुत्री को रोते हुए पाया, अभियुक्त वहां से भाग गया, फिर उसका पति पुत्री को उठाकर घर ले आया। लड़की डरी हुई थी, तब उन लोगों ने उसका डर भगाने के लिए उसे सुला दिया। आगे साक्षी ने बताया कि उस समय गांव के सरपंच आदि उनके घर आए थे और जब उनके सामने पीड़िता पुत्री से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह घर पर साड़ी के झूले में झूल रही थी तभी अभियुक्त आया और उसे बिस्कुट खिलाने के नाम पर उठाकर ले गया तथा उसके मुंह में अपना मूत्र अंग डाल दिया। बाद में पुलिस उसकी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई तथा बच्ची के उपचार के लिए उसकी अनुमति ली।

19. मामले के सबसे महत्वपूर्ण गवाह/पीड़िता पी.डब्लू.-3, उम्र 6-7 वर्ष, जो कि बाल साक्षी है, का बयान बहुत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है। साक्ष्य दिनांक को पीड़िता की उम्र लगभग 6-7 वर्ष बताई गई है। बाल साक्षी



होने के कारण उसकी सोच व समझ को परखने के लिए विचारण न्यायालय ने कुछ प्रश्न पूछे तथा पीड़िता द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर बिना शपथ दिलाए उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह पंजा जाति की है तथा अपने घर में अपने माता-पिता व तीन भाइयों के साथ रहती है। वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानती है, जिसका नाम प्रमोद है, गांव में उसे नन्ही नाम से पुकारा जाता है। जब वह पहली कक्षा में पढ़ती थी और घटना दिनांक को वह अपने घर में साड़ी का झूला झूल रही थी। शाम का समय था, उस समय उसकी मां बगीचे में नहा रही थी और पिता घर के अंदर थे। जब वह झूल रही थी, तभी आरोपी आया और उसे बिस्किट खाने के लिए आने को कहा और उसे गोद में उठाकर डोंगरी ले गया और वहां उसने उसके मुंह में अपना मूत्र अंग डाल दिया, जिस पर वह रोने लगी, तब अभियुक्त ने उसका मुंह दबाया और उसे अपने घर में सोने के लिए कह रहा था। इसके बाद उसके पिता आए और उसे गोद में उठाकर घर ले गए। ग्रामीणों ने आकर उससे घटना के बारे में पूछा, तब उसने ग्रामीणों को उपरोक्त सारी घटना बताई। इसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ मरवाही थाने गई और बाद में डॉक्टर ने भी उसकी जांच की।

20. यह साक्षी बाल साक्षी है और उसके स्पष्ट और सरल कथन में कहीं भी यह परिलक्षित नहीं होता है कि उसने अपने माता-पिता के कहने पर आरोपी के खिलाफ झूठी कहानी पेश की है। बालक का मन बहुत सरल मन होता है, यदि उसे झूठ सिखाया जाए और सत्य से सामना कराया जाए तो वह झूठ पर अडिग नहीं रह सकता और सत्य को ही उजागर करेगा। बालक के मन में यह बात नहीं आती कि बड़ों की घृणा या नापसंदगी को भुनाने के लिए वह झूठ का सहारा ले और किसी को झूठ में शामिल कर ले। अतः किसी विरोधाभास के अभाव में पीड़िता का कथन पूर्णतया सरल, सीधा और सत्य पाया जाता है, जो अभियुक्त के कृत्यों को उजागर करता है।

21. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 में यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अंतर्गत कोई अपराध करने या अपराध करने के लिए उकसाने का अभियोग चलाया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इसी प्रकार, इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से दोषपूर्ण मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, विधि ऐसी मानसिक स्थिति मान लेगा, लेकिन अभियुक्त के लिए यह साबित करना बचाव होगा कि जिस अपराध के लिए अभियोजन पक्ष अपराध कर रहा है, उसके संबंध में उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी। इस मामले में, बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में कोई विशेष विरोधाभास दिखाने में विफल रहा है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा हो, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है।

22. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह दर्शाया गया है कि दिनांक 07.02.2018 को सायं लगभग 06:00 बजे जब पीड़िता घर के आंगन में साड़ी के झूले में झूल रही थी, तब अभियुक्त आया और उसे बिस्कुट खिलाने की बात कहकर गोद में उठाकर डोंगरी की ओर ले गया तथा अपने



और पीड़िता के कपड़े उतारकर पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डाल दिया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के मुंह में लिंग डालने का प्रयास मात्र ही बलात्कार और पीड़िता पर घोर यौन उत्पीड़न प्रतीत होता है। चूंकि पीड़िता मात्र 06 वर्ष की बालिका थी, अतः उसके अभिभावक की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के आशय से उसे डोंगरी ले जाना अनुचित यौन संबंध के लिए अपहरण और अपहरण का कृत्य मात्र था।

23. इस प्रकार, अभियुक्त का उपरोक्त कृत्य पीड़िता को उसके वैध अभिभावक की अभिरक्षा से अवैध यौन संबंध के लिए विवश करने या लालच देने तथा पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डालकर बलात्कार करने के आशय से उसका अपहरण करना है, जबकि उस समय उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी तथा पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डालकर उग्र प्रवेश यौन हमला करने का कृत्य उग्र प्रवेश यौन हमला करने के कृत्य के समान ही है। इस प्रकार, हम विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि यह अपीलकर्ता है जिसने ऐसा अपराध किया है तथा वह विचाराधीन अपराध का अपराधी है।

24. भारतीय समाज में पुष्टि के अभाव में यौन हमले की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने से इंकार करना, एक नियम के रूप में, चोट पर नमक छिड़कने के समान है। भारत के परम्परागत गैर-अनुमति समाज में एक लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी बेहद अनिच्छुक होगी कि ऐसी कोई घटना कभी हुई थी जो उसकी पवित्रता पर आघात पहुंचा सकती है। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के खतरे के प्रति सचेत होगी और जब इन कारकों के सामने अपराध प्रकाश में आता है, तो अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है। जिस तरह एक साक्षी जिसने चोट झेली है, जिसे दिखाया नहीं गया है या माना जाता है कि उसने खुद को चोट पहुंचाई है, वह इस अर्थ में सबसे अच्छा साक्षी है कि वह असली अपराधी को दोषमुक्त करने की सबसे कम संभावना रखता है, यौन अपराध के पीड़ित का साक्ष्य बहुत अधिक वजन का हकदार है, भले ही पुष्टि न हो। बलात्कार की शिकार महिला या लड़की सह-अपराधी नहीं है। बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य नहीं है। **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1952 एससी 54** में न्यायमूर्ति विवियन बोस की टिप्पणियां थीं:

"नियम, जो मामलों के अनुसार कानून के एक नियम के रूप में कठोर हो गया है, यह नहीं है कि दोषसिद्धि से पहले पुष्टि आवश्यक है, बल्कि यह है कि पुष्टि की आवश्यकता, विवेक के मामले के रूप में, सिवाय इसके कि जहां परिस्थितियां इसे खत्म करना सुरक्षित बनाती हैं, न्यायाधीश के दिमाग में मौजूद होनी चाहिए। "

25. सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार बढ़ रहे हैं। यह एक विडंबना है कि जब हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, तो हम उनके सम्मान के लिए बहुत कम या कोई चिंता नहीं दिखाते हैं। यह यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज के उदासीनता के रवैये का एक दुखद प्रतिबिंब है। हमें याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़ित की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचाता है। बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है – यह अक्सर



पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय न्यायालय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निराकरण करना चाहिए। न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्ता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए। यदि अभियोक्ता के साक्ष्य से भरोसा मिलता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर पूर्ण विश्वास करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके, लेकिन सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टिकरण के अलावा। अभियोक्ता की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए तथा यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निराकरण करते समय संवेदनशील होना चाहिए। **पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384** में इस स्थिति को उजागर किया गया था।

26. यौन अपराध की अभियोक्ता को सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी कि घायल परिवादी या गवाह के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक बात यह है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के दृष्टांत (बी) के समान कोई विधि या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए उसे पुष्टिकरण की तलाश करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्ता की गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके साक्ष्य को एक साथी के मामले में आवश्यक पुष्टिकरण से कम आश्वासन दे सके। अभियोक्ता की गवाही को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि अभियोक्ता वयस्क है और पूरी तरह समझदार है तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का हकदार है, जब तक कि वह स्वयं कमजोर और विश्वसनीय न है। यदि मामले के अभिलेख पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से ज्ञात होता है कि अभियोक्ता के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।



27. रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य, एआईआर 1998 एससी 635 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य घायल गवाह के साक्ष्य के लगभग बराबर है और एक हद तक उससे भी अधिक विश्वसनीय है। इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला या लड़की अपराध में सहयोगी नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति की हवस का शिकार है और उसके साक्ष्य को संदेह के साथ परखना अनुचित और अवांछनीय है, उसे सहयोगी मानकर उसके साथ व्यवहार करना।

28. राय संदीप @ दीनू बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, (2012) 8 एससीसी 21 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:---

"हमारे विचार से, 'उत्कृष्ट गवाह' बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका विवरण, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करते हुए न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता होगी। जो अधिक सुसंगत होगा वह बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक की संगति होगी, अर्थात् उस समय जब साक्षी प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष बयान देता है, एकरूपता होगी। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में किसी भी तरह की झूठ-फरेब नहीं होना चाहिए। साक्षी को किसी भी लम्बाई और कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बयान का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय से सह-संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां आरोपी को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी गायब कड़ी नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को भी पूरा करता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका बयान बिना किसी पुष्टि के न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का कथन यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी संबंधित सामग्री अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त कथन से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध का विचारण कर रही अदालत, अपराधी को आरोपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों की छानबीन करने हेतु मूल कथन पर निर्भर कर सके।"



29. गणेशन बनाम राज्य, (2020) 10 एससीसी 573 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तथा अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता/अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब अभियोक्ता का बयान भरोसेमंद, बेदाग, विश्वसनीय पाया जाता है और उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है।

30. राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी, (2019) 11 एससीसी 575 के मामले में, यह देखा गया और माना गया कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय हो, तो अभियुक्त की सजा बिना किसी पुष्टि के, एकमात्र गवाही के आधार पर हो सकती है। यह भी देखा गया और माना गया कि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर न्यायालय को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए।

31. शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2018) 18 एससीसी 34 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों, जिनके लिए उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। यह भी देखा गया कि ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के समान है।

32. उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम पीड़िता की विश्वसनीयता और/या भरोसेमंदता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। वह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई गई है। इसलिए, बिना किसी और पुष्टि के, पीड़िता की एकमात्र गवाही पर भरोसा करते हुए अभियुक्त के दंड को बरकरार रखा जा सकता है।

33. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि अपीलकर्ता अपराध का लेखक है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का एक शुद्ध निष्कर्ष है और हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, एकमात्र संभव दृष्टिकोण वही है जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया है।

34. इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध का दोषी है। हालांकि, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है, क्योंकि अपराध दिनांक 07.02.2018 है और उक्त धारा में 16.08.2019 को संशोधन किया गया है?

35. संशोधन से पहले, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत, न्यूनतम जेल की सजा 10 साल थी। मामले की बेहतर समझ के लिए संशोधन से पहले पॉक्सो की उपरोक्त धारा को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा, जो इस प्रकार है:



“ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6:” 6. गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए दंड। जो कोई भी, उग्र प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, उसे कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।”

36. पॉक्सो अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 16.08.2019 की धारा 6 में संशोधन पश्चात् यह निम्नानुसार है:---

“ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6:

6. गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए दंड। (1) जो कोई उग्र प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, उसे कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और वह जुर्माने या मृत्युदण्ड से भी दण्डित किया जाएगा।”

37. सतीश कुमार ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन छत्तीसगढ़ 3631 के मामले में इस उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:---

“17. विपुल रसिकभाई (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपराध की तिथि को अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष थी, वह 06.07.2013 से अभिरक्षा में है और उसने कोई जेल अपराध नहीं किया है और यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि यह संभावना है कि अपीलकर्ता खुद को एक कठोर अपराधी में बदल लेगा और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अपराध के समय पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए न्यूनतम दंड 10 वर्ष थी, जिसे 16.08.2019 से 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, हम पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को 14 वर्ष की सजा और भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की जगह 14 वर्ष की सजा देते हैं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई जुर्माना की सजा और व्यतिक्रम का दंड यथावत रहेगी और सभी दंड एक साथ चलेंगी।

38. संशोधन से पहले, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान था कि जो कोई भी सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। संशोधन के बाद, अर्थात् 16.08.2019 से, उक्त धारा में कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। यह घटना 07.02.2018 को हुई और इस तरह, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, जो 16.08.2019 से पहले थी, वर्तमान मामले में लागू होगी और इस तरह, यह न्यायालय का विचार है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और उसे 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की अधिकतम सजा



सुनाने के बजाय, अपीलकर्ता को 14 साल के कठोर कारावास का दंड पारित जाए, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

39. अब प्रश्न यह होगा कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना न्यायोचित है, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है?

40. इस तर्क का उत्तर देने के लिए, इस तथ्य पर ध्यान देना सुसंगत होगा कि वर्तमान मामले में घटना की दिनांक 07.02.2018 है, जबकि 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) को 2016 के अधिनियम 1 द्वारा 26.01.2016 से संशोधित किया गया था। 26.01.2016 से अपने संशोधन से पहले, धारा 3(2)(v) निम्नानुसार थी:

"3. अत्याचार के अपराधों हेतु दंड—

(1) XXX XXX

(2) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है —

(i) से (iv) XXX

(v) किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध इस आधार पर करता है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा; "

26.01.2016 से इसके संशोधन से पहले, धारा 3(2)(v) का असंशोधित भाग था: "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है" संशोधन के बाद, धारा 3(2)(v) का प्रतिस्थापित भाग है: "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है।"

41. 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) के असंशोधित प्रावधान पर **पाटन जामन वली राज्य आंध्र प्रदेश बनाम 1** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार किया गया, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने इस आधार पर यौन संभोग/अपराध किया है कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: ---

"58.हम सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल इसलिए विफल नहीं हो जाता है क्योंकि पीडब्लू 1 ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया कि उसकी पुत्री के खिलाफ अपराध इसलिए किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति की महिला थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह



दिखाने के लिए कोई अलग साक्ष्य नहीं पेश किया गया है कि अभियुक्त ने पीडब्लू 2 की जाति पहचान के आधार पर अपराध किया। हालांकि यह मानना उचित होगा कि आरोपी पीडब्लू 2 की जाति जानता था क्योंकि गांव के समुदाय आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और अभियुक्त पीडब्लू 2 के परिवार का परिचित भी था, लेकिन धारा 3(2) (v) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, अपने आप में यह ज्ञान अपराध के होने का आधार नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में अपराध किए जाने के समय था। यद्यपि यह अवधारित करना उचित होगा कि अभियुक्त को पी.डब्लू.2 की जाति का पता था क्योंकि गांव के समुदाय आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और अभियुक्त पी.डब्लू.2 के परिवार का परिचित भी था, लेकिन वर्तमान मामले में अपराध किए जाने के समय धारा 3(2) (v) की भाषा को ध्यान में रखते हुए, अपने आप में यह ज्ञान अपराध के किए जाने का आधार नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, पीडब्लू2 द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न की अंतर-अनुभागीय प्रकृति के कारण, यह स्थापित करना मुश्किल हो जाता है कि अपराध के पीछे क्या कारण था – क्या यह उसकी जाति, लिंग या विकलांगता थी। यह उस प्रावधान की सीमाओं को उजागर करता है जहाँ गलत कार्य का कारण एक ही आधार से उत्पन्न होता है या जिसे हम एकल अक्ष मॉडल के रूप में संदर्भित करते हैं।

59. यह उल्लेख करना उचित है कि धारा 3(2) (v) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 26 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ। धारा 3(2) (v) के तहत "इस आधार पर" शब्दों को "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" से प्रतिस्थापित किया गया है। इससे जातिगत पहचान के आधार पर अपराध किए जाने को साबित करने की सीमा कम हो गई है, और अब केवल जानकारी ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है...

60. X XXX XXX

61. हालाँकि, चूंकि धारा 3(2)(v) में संशोधन किया गया था और धारा 8 के खंड (सी) को 26 जनवरी 2016 से अधिनियम 1, 2016 द्वारा सम्मिलित किया गया था, इसलिए ये संशोधन इस मामले पर लागू नहीं होंगे। वर्तमान मामले में अपराध संशोधन से पहले, 31 मार्च 2011 को हुआ था। इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वर्तमान मामले में साक्ष्य यह साबित नहीं करते हैं कि वर्तमान मामले में अपराध इस आधार पर किया गया था कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसलिए धारा 3(2)(v) के तहत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए।"

42. 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) के प्रावधान में संशोधन के बाद प्रतिस्थापित भाग का शब्दांकन है "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है"। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आठवें संस्करण, पृष्ठ 888 में "जानना" शब्द को परिभाषित किया गया है, -



"1. जागरूकता या समझ होना या दिखाना; अच्छी तरह से सूचित होना।

2. जानबूझकर; सचेत"।

43. शशिकांत शर्मा एवं अन्य उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदेश एवं अन्य 2 के मामले में, 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार किया गया, जिसमें यह माना गया है कि 1989 के अधिनियम (संशोधित) की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए यह आरोप होना चाहिए कि अभियुक्त जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति उक्त समुदाय से संबंधित है, आईपीसी के प्रावधान के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध किया है।

44. धारा 3(2)(v) (जैसा कि 26.01.2016 से संशोधित) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री से यह स्पष्ट है कि कोई भी कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता ने यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, कोई अपराध किया है। अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित) की धारा 3(2)(v) को तभी लागू किया जा सकता है, जब यह उचित संदेह से परे साबित हो जाए कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य पर यह जानते हुए किया गया है कि ऐसा व्यक्ति उक्त समुदाय से संबंधित है। अभियोजन पक्ष अभिलेख पर विधिक साक्ष्य ला सकता था, जिससे यह पता चलता है कि अपीलकर्ता को पता था कि पीड़िता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, इसलिए, 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तत्वों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि 26.01.2016 से संशोधित होने के बाद था, अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए अलग साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय से है, विचाराधीन अपराध किया है। इसलिए, शशिकांत शर्मा (सुप्रा) और पाटन जामन वली (सुप्रा) के निर्णय के आलोक में, 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई थी, संधारणीय नहीं है और इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

45. परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और धारा 3(1) (बी-आई)(बी-ii) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दंड, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उस पर लगाया गया था, को अपास्त किया जाता है।

46. तदनुसार, पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा जाता है, हालांकि, चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 42 के मद्देनजर केवल धारा 6 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई है, इसलिए हमारा यह भी मानना है कि अपीलकर्ता को केवल पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा दी जानी चाहिए। अपीलकर्ता के



विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, पीड़ित (पीडब्लू-3) के साक्ष्य और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर भी विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में संशोधन 18 जून 2014 से प्रभावी हुआ है। 16.08.2019 को और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत संशोधन से पहले, न्यूनतम जेल की सजा 10 वर्ष थी और घटना की दिनांक 07.02.2018 है, इस न्यायालय का विचार है कि आजीवन कारावास का दंड, जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, बहुत कठोर है और इसके बजाय, अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। हालाँकि, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) और धारा 3(1) (बी-i)(बी-ii) को अपास्त किया जाता है। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 366 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत लगाई गई जुर्माना राशि यथावत रहेगी।

47. अपीलकर्ता के जेल में होने की बात कही गई है। उसे ऊपर संशोधित दंड भुगतने का निर्देश दिया जाता है।

48. दण्डिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दिनांक 04.02.2021 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विवादित फैसले को ऊपर बताई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।

49. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजे, जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है, ताकि अपीलकर्ता को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

50. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
(रवींद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश



हेड नोट :

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध केवल तभी लागू हो सकते हैं, जब यह उचित संदेह से परे साबित हो जाए कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य पर यह जानते हुए किया गया है कि अमुक व्यक्ति उक्त समुदाय से संबंधित है।





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

